भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3792
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रमुख सुधार

3792. श्री राजीव रायः
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार किसानों की स्थिति में सुधार लाने और उनकी आय दोगुनी करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कोई बड़ा सुधार शुरू करने की योजना बना रही है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार की कृषि उत्पादन बढ़ाने, बेहतर बीज और कृषि प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यावसायिक मार्ग उपलब्ध कराने, ड्रिप सिंचाई, फसल नियोजन, कृषि उपज को बाजार तक आसान और तेज परिवहन, गोदाम सुविधाएं, बिचौलियों की भूमिका में कमी आदि के लिए कोई ठोस योजना है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए निम्नलिखित एकीकृत कार्यनीति की पहचान की है:-

I. फसल उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि
II. उत्पादन लागत में कमी
III. किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनकी उपज का लाभकारी रिटर्न।
IV. कृषि विविधीकरण
V. फसलोपरांत मूल्य संवर्धन का विकास
VI. सतत कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन और फसल हानि को कम करना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सभी स्कीमें/कार्यक्रम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुरूप हैं। चूँकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों की सहायता करती है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, बेहतर बीज और कृषि तकनीक उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों को वैकल्पिक व्यवसायिक रास्ते उपलब्ध कराने, ड्रिप सिंचाई, फसल नियोजन, गोदाम सुविधाएँ आदि के लिए निम्नलिखित प्रमुख स्कीमें शुरू की हैं:-

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
5. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. समेकित कृषि विपणन स्कीम (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

*****